**आज ही / अति महत्वपूर्ण**

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य- कोविड-19 रोस्टर /2020-21/ 948 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 16 जुलाई, 2020

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

शासनादेश संख्या-11/2020/संख्या-568/सामान्य-का-4-2020-303/2020टीसी दिनांक-09.07.2020 के द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत कार्यालयों में सोशल डिस्टैन्सिंग का आंकलन किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष को अधिकृत करते हुये निर्देशित किया गया है कि समूह-ग एवं घ के 50% कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर वर्क फ्राम होम की अनुमति के सम्बन्ध में विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। यह भी प्राविधान दिये गये है कि रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे, उन्हे आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

अत: अपेक्षा की जाती है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय कार्य को सुचारु रुप से सम्पन्न कराये जाने हेतु तथा कार्यात्मक आवश्यकता का आंकलन करने के उपरान्त आप अपने जोन के अन्तर्गत समूह-ग एवं घ में 50% कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर वर्क फ्राम होम की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य परक आख्या / संस्तुति निम्न प्रारुप में अपने जोन की संकलित सूचना सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को ई-मेल / फैक्स के माध्यम से आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

::प्रारुप::

| क्र0सं0 | जोन अन्तर्गत जनपद का का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | | कार्यरत् कार्मिकों की संख्या | | वर्क फ्राम होम से कार्य करने वाले अपेक्षित कार्मिकों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | समूह-ग | समूह-घ | समूह-ग | समूह-घ | समूह-ग | समूह-घ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(सुधा वर्मा)
प्रभार- एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि -ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

16/07/2020

प्रभार- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।